रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 1990/कार्तिक 25, 1912
No. 506] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 1990/KARTIKA 25, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1990

सं. 157/90-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 914 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 94/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1981 को अधिक्रांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रकार के स्वर्ण से शक्ति की सहायता से संपरिवर्तित प्राथमिक स्वर्ण को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से जितना 175 रु. प्रति किलोग्राम की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

"स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, प्राथमिक स्वर्ण से किसी अपरिसज्जित या अर्धसज्जित रूप में स्वर्ण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सिल्लिका, शलाकाएं, ब्लाक, स्लैब, बिलेट, शाट, पैलट, छड़ें, चादरें पणिकाएं और तार हैं।"

[फा.सं. 332/39/90-टी आर यू]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th November, 1990

NO. 157|90-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 914(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 94|81-Central Excises, dated the 1st

April, 1981, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts primary gold converted with the aid of power from any form of gold and falling within chapter 71 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) from so much of that portion of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of Rs. 175|- per kilogram.

"Explanation : For the purposes of this notification, primary gold, means gold in any unfinished or semi-finished form and includes ingots, bars, blocks, slabs, billets, shots, pellets, rods, sheets, foils and wires".

[F. No. 332|39|90-TRU]

सं. 158/90–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 915 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 53/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 10 फरवरी, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में,—

(i) मद (1) में "स्वर्णकारों या रजतकारों द्वारा विनिर्मित" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "आभूषण" से परिसज्जित रूप में कोई ऐसी चीज अभिप्रेत है जो वैयक्तिक श्रृंगार के लिए या किसी मूर्ति, देवता या धार्मिक पूजा के किसी अन्य सामान के अलंकरण के लिए आशयित है जो स्वर्ण या चांदी या दोनों से बनाई गई है या विनिर्मित है चाहे वह रत्नों या मणि (वास्तविक या कृत्रिम) अथवा मोतियों (वास्तविक, कल्चरी या नकली) या उनमें से सभी या किसी से जड़ाऊ हों अथवा नहीं और इसके अन्तर्गत आभूषणों के भाग, लाकेट या टूटे हुए हिस्से हैं।"

[फा.सं. 332/39/90–टी आर यू]

NO. 158|90-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 915(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 53|86-Central Excises, dated the 10th February, 1986, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification,—

(i) in item (1), the words "manufactured by goldsmiths or silversmiths" shall be omitted;

(ii) the following explanation shall be inserted at the end, namely :—

"Explanation : For the purposes of this notification, "ornament" means a thing, in a finished form, meant for personal adornment or for the adornment of any idol, deity or any other object of religious worship, made of, or manufactured from, gold or silver or both, whether or not set with stones or gems (real or artificial) or with pearls (real, cultured or immitation), or with all or any of them and includes parts, pendants or broken pieces of ornaments".

[F. No. 332|39|90-TRU]

सं. 159/90–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 916(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 228/88—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) स्पष्टीकरण को "स्पष्टीकरण 1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

(ii) इस प्रकार संख्यांकित "स्पष्टीकरण 1" के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"स्पष्टीकरण 2 :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए स्वर्ण के संबंध में "वस्तु" से (आभूषणों से भिन्न) परिसज्जित रूप में ऐसी कोई चीज अभिप्रेत होगी जो स्वर्ण से बनाई गई है, उससे निर्मित की गई या उसमें स्वर्ण है और इसके अंतर्गत कोई स्वर्ण सिक्का और स्वर्ण की किसी वस्तु के टूटे हुए टुकड़े भी हैं, किन्तु इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वर्ण, अर्थात् किसी अपरिसज्जित या अर्ध-परिसज्जित रूप में जिसके अंतर्गत सिल्लिका, शलाकाएं, ब्लाक, स्लैब, बिलेट, शाट, पैलट, छड़ें, चादरें, पर्णिकाएं और तार हैं, स्वर्ण नहीं है।"

[फा.सं. 332/39/90–टी आर यू]

आर.के. महाजन, अवर सचिव

NO. 159|90-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 916(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 228|88-Central Excises, dated the 6th July, 1988, namely :—

In the said notification,—

(i) the "Explanation" shall be numbered as "Explanation I";

(ii) after "Explanation I" as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation II : For the purposes of this notification, "articles" in relation to gold shall mean any thing (other than ornaments), in a finished form, made of, manufactured from or containing, gold and includes any gold coin and broken pieces of an article of gold but does not include primary gold, that is to say, gold in any unfinished or semi-finished form including ingots, bars, blocks, slabs, billets, shots, pellets, rods, sheets, foils and wires".

[F. No. 332|39|90-TRU]

R. K. MAHAJAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990